न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 81/2022

उनवान

1. तुलसी पत्नी नानुराम जाट नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. चांदी पत्नी स्व. श्री चम्पा जाट नि0 सायला, भीलवाडा।
2. लाली पुत्री स्व. श्री चम्पा जाट नि0 सायला, भीलवाडा।
3. भंवरी पुत्री स्व. श्री चम्पा जाट नि0 सायला, भीलवाडा।
4. देऊ पुत्री स्व. श्री चम्पा जाट नि0 सायला, भीलवाडा।
5. गणेशलाल पुत्र मोहन लाल गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
6. संवरलाल पुत्र रामचन्द्र गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
7. सारू पुत्री रामचन्द्र गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
8. सत्तु पुत्री रामचन्द्र गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
9. गंगा पुत्री राचन्द्र गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
10. जस्सु बाई पत्नी स0 श्री रामचन्द्र गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
11. मेतु पुत्री स्व. श्री मोहनलाल गाडरी नि0 सायला, भीलवाडा।
12. सीता देवी पुत्री स्व0 श्री लादुलाल बैरागी नि0 बिलियाखुर्द, भीलवाडा।
13. लहरी बाई पत्नी स्व0 श्री लादुलाल बैरागी नि0 बिलियाखुर्द, भीलवाडा।
14. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 श्री लादुलाल बैरागी नि0 बिलियाखुर्द, भीलवाडा।
15. कैलाशचन्द्र पुत्र स्व0 श्री लादुलाल बैरागी नि0 बिलियाखुर्द, भीलवाडा।
16. सायर देवी पत्नी स्व0 जानकीदास बैरागी नि0 बिलियाखुर्द, भीलवाडा।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 08.06.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 15.06.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम सायला प.ह. दुडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 230 के आ.न. 666/645 रकबा 0.1897है0, भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 से 16 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम सायला प.ह. दुडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 230 के आ.न. 666/645 रकबा 0.1897है0, भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 08.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अजीत सिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ